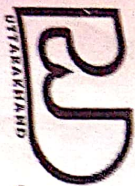


कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल)



UTTARAKHAND

epwdhowali@rediffmail.com



पत्रांक 1814 / 8सी0
सेवा में,

दिनांक 8/10/24

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग,
नैनीताल।

विषय:- जनपद नैनीताल में छीझखान से तल्ली पोखरी हाईस्कूल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.26 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्रांक 8वीं/यू0सी0पी0/06/215/2015/ एफ0सी0/746 दिनांक 04/08/2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत् प्रेषित की जा रही है।

क्र0 सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.52 हे0 ग्राम मल्ली पोखरी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उनके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	जिलाधिकारी के आदेशानुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र 2.52 हे0 सिविल भूमि ग्राम तल्ली पोखरी वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जा चुका है। सुलभ पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। अलग-3
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 - एफ0सी0 दिनांक 05/02/2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 - एफ0सी0 दिनांक 05/02/2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि ऑनलाईन माध्यम से दिनांक 27/09/2017 को जमा की जा चुकी है। सुलभ पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। अलग-2
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। अलग-3

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 - एफ0सी0 दिनांक 05/02/2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के तदर्थ निकाय खाते में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान जनरेट होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के तदर्थ निकाय खाते में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनरेट चालान के तहत भुगतान किया है। सुलभ पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। <u>संलग्न - 2</u>
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां- जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा सैन्टल वर्ज पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रीप प्लानटेशन की जायेगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। <u>संलग्न - 4</u>
6	State Govt. will Provide the Original Hard Copy of the proposal.	प्रस्ताव की मूल प्रति तैयार कर संलग्न की जा रही है।
7	State Govt. will Upload KML file of the area proposed for diversion at para- C (iv) part - I online.	पैरा सी0 में प्रस्तावित क्षेत्र का के0एम0एल0 फाईल ऑनलाईन पार्ट - 1 पैरा सी0 (4) में अपलोड की जा चुकी है।
8	State Govt. will provide proceedings of village level committee meeting under FRA, 2006 , of village Talli Pokhri, since name of this village is mentioned in village wise breakup and in FRA certificate of the collector.	संलग्न है। <u>संलग्न - 5</u>

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों पर सहमति प्रदान की जाती है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें

क्र0 सं0	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।
3	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 2.52 है0 ग्राम-गलनी, पोखरी सिविल एवं सोयम भूमि को छ: माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम , 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावार्जन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फिट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।

6	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूर एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	मान्य हैं।
7	परियोजना के निर्माण व रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्थितियों एवं जीव जंतुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।	मान्य हैं।
8	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	मान्य हैं।
9	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 87 से अधिक न हो।	मान्य हैं।
10	सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	मान्य हैं।
11	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।	मान्य हैं।
12	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	मान्य हैं।
13	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं अन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।	मान्य हैं।

कर करे।

अतः मोटर मार्ग के विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का

पत्रांक 1818 / 8सी0

प्रतिलिपि निम्नांकित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त लो0नि0वि0 नैनीताल।
- 3- सहायक अभियन्ता द्वितीय, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 भवाली को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4- खण्डीय अभीन, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 भवाली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल में हार्ड कापी जमा करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
भवाली (नैनीताल)
दिनांक 24/06/2024

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली (नैनीताल)

240109

परिचालन का नाम - ज्ञानपद नीतिगतन मे एकीकरण से कार्यरत करने कोचरी कोचरी तक समाप्त होना नहीं का निगुण।

୧୮୩୫ ୧୫୫ ୧୫୫

[illegible]

卷之四

卷之四

[Handwritten signature]

अनुमानालिखारी
पुस्तकालय

सुभाष चक्रवर्ती
सुभाष शर्मा, लो. नि. वि.
सुभाषी (नवीन)

अथर्ववेदः

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 27-09-2017

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	11395142015119
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer P.W.D. Bhowali Nalital
Amount(In Rs)	1703097/-

Amount in Words : Seventeen Lakh Three Thousand and Ninety-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	1508911395142015119
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 27-09-2017

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	11395142015119
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Executive Engineer P.W.D. Bhowali Nalital
Amount(In Rs)	1703097/-

Amount in Words : Seventeen Lakh Three Thousand and Ninety-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	1508911395142015119
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in


Executive Engineer
Temur Division, P.W.D.
BHOWALI (Nalital)


Executive Engineer
Temur Division, P.W.D.
BHOWALI (Nalital)

संलग्नक-2

बिन्दु सं0-4

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

परिशीलना का नाम :- जनपद नैनीताल में छीजाखान से हाईस्कूल तल्ली पोखरी
सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि विपणनित मार्ग के एन0पी0वी0 दर्शों में
यदि सक्षम स्तर से बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई अतिरिक्त धनराशि का वहन लोक
निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।


आप सहायक अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
गवाली।


सहायक अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
गवाली।


अधिष्ठाता अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0,
गवाली।

रजिस्ट्रार - 4

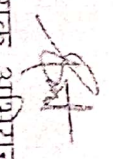
बिन्दु सं०-6

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल में छीड़ाखान से हार्डस्कूल तल्ली पोखरी सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि विप्रांक्ति सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों पर लोनिवि० द्वारा वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation करवा जायेगा।


अपर सहायक अभियन्ता,
अरथाई खण्ड, लोनिवि०,
भवाली।


सहायक अभियन्ता,
अरथाई खण्ड लोनिवि०,
भवाली।


अधिरासी अभियन्ता,
अरथाई खण्ड लोनिवि०,
भवाली।

प्रपत्र 23

1.6
2010-5

1. का नाम :- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत धौलाखान से हाईस्कूल तल्ली पोखरी गेट पर मार्ग का 1.26 हैक्टर वन भूमि का हस्तांतरण

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त पत्राचार का नाम:- गेटवा, मल्ली पोखरी तल्ली धारी, जनपद नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

नैनीताल उदारसंस्थान में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत धौलाखान से हाईस्कूल पोखरी गेट पर मार्ग का निर्माण हेतु अधिगत वन 0.875 हे० एवं वन पचायत भूमि 0.4025 हे०] त कुल 1.26 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग भवाली विभाग / संस्था के पत्र में भारत सरकार एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

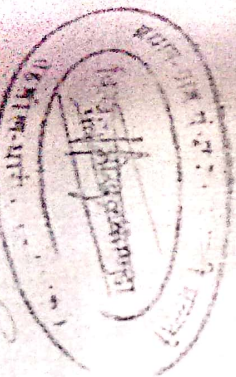
वा प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मटेला दिनांक 23/08/2014 एवं ग्राम पंचायत मल्ली पोखरी दिनांक 14/09/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोजता एजेन्सी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी । यह की वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का वन/कृषि कार्य है अथवा नहीं उपस्थित सभी मामलों में तत्त परत किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का वन/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त पर्यावरण के नियंत्रण हेतु आवेदित वन भूमि पर समवायियों के परमपरागत अधिकारों का हानन नहीं हो रहा है ।

वन के अत्यन्त गाम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय किया / पर्याप्त पारित किया गया कि ग्राम मटेला एवं मल्ली पोखरी के समवायियों को उक्त वन भूमि 1.26 हे० प्रयोजता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है

2010
हरमन्त

वन पंचायत मटेला



23/08/14

वन पंचायत मल्ली

वन पंचायत मल्ली
वन पंचायत मल्ली
वन पंचायत मल्ली

(वन विभाग मल्ली)

वन पंचायत मल्ली
वन पंचायत मल्ली
वन पंचायत मल्ली

वन पंचायत मल्ली
वन पंचायत मल्ली
वन पंचायत मल्ली

वन पंचायत मल्ली
वन पंचायत मल्ली
वन पंचायत मल्ली

दिनांक 23/8/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की प्रसिद्धि
ग्राम पंचायत गेटेवा, मालवी, पारवरी दि. 14.09.2014

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01.	शिवसिंह मल्लिक	शिवसिंह
02.	लक्ष्मीदेव कुवाल	लक्ष्मीदेव
03.	इन्द्रसिंह 5%	इन्द्रसिंह
04.	जगदीश राम 5%	जगदीश
05.	मोहन झा 5%	मोहन
06.	दिनेश सिंह मल्लिक 5%	दिनेश
07.	शिवसिंह कुवाल 5%	शिवसिंह
08.	बल्लु सिंह मल्लिक 5%	बल्लु
09.	नारायण सिंह 5%	नारायण
10.	नवल राम 5%	नवल
11.	भूषण चवड़ा 5%	भूषण
12.	नारायण सिंह 5%	नारायण
13.	केशव दत्त पारवरी 5%	केशव
14.	मोहन दत्त 5%	मोहन
15.	नन्द किशोर 5%	नन्द
16.	बेताबा पारवरी 5%	बेताबा
17.	दमाकिशन पारवरी 5%	दमाकिशन
18.	लखी देव पारवरी 5%	लखी देव
19.	हरिदत्त पारवरी 5%	हरिदत्त
20.	केशव दत्त पारवरी 5%	केशव
21.	बिल्लामठा पारवरी 5%	बिल्लामठा
22.	लखी देव 5%	लखी देव
23.	माधवानन्द पारवरी 5%	माधवानन्द
24.	दीवानन्द पारवरी 5%	दीवानन्द
25.	भूषण चवड़ा पारवरी 5%	भूषण
26.	मणदेव पारवरी 5%	मणदेव
27.	मणदेव पारवरी 5%	मणदेव

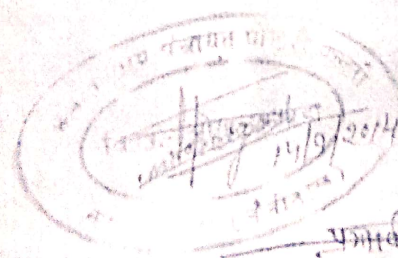
दयाश्री
सरपंच

ग्राम पंचायत गेटेवा
दि. 14.09.2014

लीला विप्रा
23/8/14

शंकर प्रसाद
सरपंच

ग्राम पंचायत पारवरी उत्तरी
दि. 14.09.2014



पञ्चायती अधिकारी
अर्थात् लखी, मोहनचंद
पञ्चायती (नैनीताल)

Handwritten signatures and notes in the bottom right corner, including a signature that appears to be 'M. S. Singh'.